E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2024; 6(1): 03-04
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 08-11-2023
Accepted: 13-12-2023

डॉ. अनुपम चतुर्वेदी
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. अनुपम चतुर्वेदी
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली, राजस्थान, भारत

भारत में समान नागरिकता संहिताः एक विश्लेषण

डॉ. अनुपम चतुर्वेदी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2024.v6.i1a.291

सारांश
भारतीय राजनीति में समान नागरिकता संहिता पर वर्तमान समय में एक नई बहस आरम्भ हो गई है। भारत की आजादी के समय से समान नागरिक संहिता का प्रश्न विवाद का विषय रहा है और केन्द्रीय कानून मंत्रालय के हस्तक्षेप से भारतीय गणतंत्र के समक्ष यह मुद्दा पुनः केन्द्रीय विमर्श का प्रश्न बन गया है। वर्ष 2018 में 21वें विधि आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट कहा था कि समाज नागरिकता संहिता (UCC) न तो आवश्यक है, न ही वांछनीय। लेकिन 22 वें भारतीय विधि आयोग ने 14 जून 2023 को देश में समान नागरिकता सहिता (यूसीसी) पर सभी संबंधित पक्षों, आम लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगनें के लिए अधिसूचना जारी की है।
प्रस्तुत शोध पत्र में समान नागरिकता संहिता के विभिन्न आयामों की गहराई से पड़ताल करने का प्रयास किया गया है और समान नागरिकता संहिता के देश की राजनीति समाज पर और पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

कूटशब्द : भारत, राजनीति, समान नागरिक संहिता, विधि आयोग गणतंत्र, समाज

प्रस्तावना
भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का यह तकाजा है कि देश के सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र में समानता के अधिकार को मूर्त रूप देने के लिए ऐसे कानून आवश्यकता होती है जो सभी पर समान रूप से लागू हो और यह आवश्यकता ही समान नागरिक संहिता के विचार को जन्म देती हैं।

भारत में समान नागरिक संहिता : अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान
भारत के सन्दर्भ में समान नागरिक संहिता कानून का अर्थ है विवाह तलाक, उत्तराधिकार, और गोद लेने के मामलों मे धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव के बिना एक ही कानून की व्यवस्था होना है।''
भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि ''राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।''
समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग चार अर्थात् नीति–निदेशक तत्वों के अन्तर्गत किया गया है जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नही है लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
भारत में गोवा को छोड़कर (जहाँ गोवा नागरिक संहिता कानून लागू है) शेष भारत में समान नागरिक संहिता लागू नही हैं।

समान नागरिकता संहिता लागू होने से लाभ
1. समान नागरिक संहिता एक देश एक विधान के विचार को प्रोत्साहित करती है। यूसीसी से सभी नागरिकों के बीच एक समान पहचान और एक–दूसरे के प्रति लगाव की भावना पैदा होती है जिससे राष्ट्रीय एकता को बढावा मिलता है।
2. इसके लागू होने पर विभिन्न सम्प्रदायों के अलग–अलग वैयक्तिक कानून के कारण जन्म लेनी वाली साम्प्रदायिकता का अंत होता है।
3. संविधान के आदर्श बन्धुता और गरिमा के सिद्धांत पुष्ट होते हैं।
4. यूसीसी लागू होने पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव दूर करने में सफलता मिलेगी क्योंकि वैयक्तिक कानून में सबसे अधिक महिलाओं के साथ ही लैंगिक भेद्भाव देखने को मिलता है।

5. यह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि मामलों मे महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान जनक स्थिति प्रदान करता है।
6. यूसीसी विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं को दूर करके कानूनी प्रणाली को सरल और युक्तिसंगत बनाता है। पर्सनल लॉ के कारण बढ़ने वाली मुकदमेबाजी, कानून ओवरलैपिंग के प्रावधानों से बचा जा सकता है।
7. वास्तव में यूसीसी कानूनों का एक सैट स्थापित करेगी जो सभी नागरिको के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करेगी, जो धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाऐगी।

तालिका 1: (भारत में अलग–अलग धर्मों के विवाह, तलाक गोद सम्बंधी कानून)

धर्म	विषय	सम्बंधित कानून
हिन्दू	विवाह और तलाक	हिन्दू विवाह कानून (1955)
मुसलमान	विवाह और तलाक	मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) एप्लीकेशन ऐक्ट (1937)
ईसाई	विवाह तलाक	क्रिश्चियन मैरिज एक्ट (1872) इंडियन डायवर्स ऐक्ट (1869)
सिक्ख	विवाह	आनंद मैरिज (अमेंडमेण्ट) ऐक्ट 2012
हिन्दू, बौद्ध जैन, सिख	उत्तराधिकार और गोद लेने संबंधी	हिन्दू सक्शेसन ऐक्ट 1956
मुसलमान	उत्तराधिकार और गोद लेने संबंधी	मुस्लिम पर्सनल (शरीयत) ऐप्लीकेशन ऐक्ट, 1937
ईसाई	उत्तराधिकार और गोद लेने संबंधी	इंडियन सक्षेसन ऐक्ट, 1925

तालिका 2: (भारत में विभिन्न धर्मों के कि पसर्नल लॉ के कारण विशिष्ट प्रावधान)

धर्म/समुदाय	पर्सनल लॉ के विशिष्ट प्रावधान
(1) हिन्दू	1. पैतृक संपति और स्व अर्जित सम्पति में अन्तर 2. हिन्दू अविभाजित परिवार को विशेष कर छूट मिलती है। 3. कोई हिन्दू अगर दूसरे धर्म को अपना लेता है तो वह किसी से भरण पोषण के दावे को खो बैठता है।
(2) मुसलमान	1. पुरुष अधिकतम चार पत्नियाँ रख सकते है। 2. निःसंतान विधवा को अपने पति की अचल संपत विरासत में नहीं मिलती है। 3. कोई मुस्लिम किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। लेकिन कफील बन सकता। बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हो सकते है।
(3) ईसाई	1. सिर्फ पत्नी को ही गुजारा भत्ता मिलेगा। 2. माँ का अपने बच्चे की सम्पत्ति में कोई हक नही।
(4) आदिवासी	सभी चिन्हित एसटी क्षेत्रों में 1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और हिन्दू उत्तराधिकार 1956 लागू नहीं। रीतिरिवाजों, परम्पराओं, प्रथाओं से सब कुछ तय होता है। 2. बहुविवाह की अनुमति
(5) पारसी	1. पारसी महिला दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करती है तो माता–पिता की सम्पत्ति से वंचित होना पड़ेगा।

समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन में बाधाएँ

1. भारत की व्यापक विविधता के कारण यूसीसी का क्रियान्वयन एक दुष्कर कार्य है।
2. भारत में सभी नागरिकों को संविधान के दायरे में रहकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी नागरिकों के लिए समान नियमों को संहिताबद्ध करने पर धर्म की स्वतंत्रता का दायरा सीमित हो जाता है।
3. विभिन्न समुदायों के लोग व्यक्तिगत कानून से अलग धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अपनाने के इच्छुक नहीं है। इसके आलोचक कहते है कि एक समूह की परंपराओं को दूसरे समूह पर थोपना उचित नहीं है।

समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण

वर्तमान में केन्द्र में सतारुढ भारतीय जनता पार्टी की समान नागरिक संहिता के बारे में स्पष्ट राय है कि देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। 1989 से भाजपा के घोषणा पत्र में यह वादा किया जाता रहा है कि वह देश में यूसीसी लागू करेगी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में है। वह देखो और इंतजार करो की नीति को अपना रही है। इंडिया गठबन्धन जो अभी हाल ही मे है के अन्य घटक दल टीएमसी, द्रविड मुनेत्र बना कड़गम, जनता दल (यूनाइटेड) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी खुलकर इसके विरोध में है।

निष्कर्ष : भारत कई सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रित समाज है जहाँ प्रत्येक संस्कृति अपनी विपरीत लेकिन विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए भी दूसरों के साथ मिलती है। इसकी सुंदरता यह है कि बहुसंख्यक हिन्दू आबादी होते हुए भी विविध सांस्कृतिक पहचान वाले अन्य धर्मो के मूल्यों और प्रथाओं को इस देश में स्वीकार किया जाता है और सांस्कृतिक बहुलवाद को पनपने का अवसर प्रदान किया जाता है। समान नागरिक संहिता हिन्दू बनाम मुस्लिम का मुद्दा नहीं है जैसाकि इसके विरोधी इसके विरुद्ध कुप्रचार कर रहे हैं कि यूसीसी हिन्दू कानून अन्य धर्मों पर थोपने का प्रयास है। न केवल मुस्लिम बल्कि हिन्दू धर्म के कुछ समुदायों विशेषकर आदिवासी समुदाय भी इस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दक्षिण भारत में भी विवाह की कुछ प्रथाएँ है जो उत्तर भारत में नहीं पाई जाती है। हिन्दू अविभाजित परिवार को कर संबंधी जो विशेष छूट है है उसका क्या होगा ?

संविधान निर्माता भी इस जटिल प्रश्न को सुलझा नहीं पाए इसलिए संविधान में यह कहा गया कि ''राज्य अपने नागरिकों के बीच एक समान संहिता प्राप्त कराने का 'प्रयास' करेगा। अंत में हम कह सकते है कि किसी राष्ट्र के लिए आदर्श स्थिति यह होगी कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए तथा स्त्री–पुरुष के साथ समानता का व्यवहार करे लेकिन इस संबंध में कोई भी कदम दूरदर्शी पूर्ण दृष्टिकोण से उठाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. भारत का संविधान, कानून प्रकाशक जोधपुर संरकरण 2021, पृष्ठ 26
2. भारतीय सरकार एवं राजनीति, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, आर पी. जोशी जयपुर 2007, पृष्ठ संख्या 97
3. इंडिया टुडे साप्ताहिक, 16 अगस्त 2023
4. फ्रंटलाइन 28 दिसम्बर, 2022
5. फ्रंटलाइन, 25 नवम्बर, 2015
6. https://www-bbc-com>articles 'समान नागरिक संहिता लागू हुआ तो हिन्दूओं पर क्या असर पड़ेगा ? (पहुँचा गया 06.08.23)
7. Legal service India (पहुँचा गया 10.08.2023)
8. web dunia.com> what is Uniform Civil code in India (पहुँचा गया 08.08.2023)
9. https://navbharttimes.indiatimes.com : समान नागरिक संहिता की सियासत और हकीकत को ऐसे समझिए (पहुंचा गया 9.8 2023)
10. www.dw.com समान नागरिक संहिता क्यों है मुस्लिम औरतें समर्थन में – 137 (पहुँचा गया 11.08.2023)